अनुसुचित जातियों अनुसुचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान हेतु औद्योगिक सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की योजना

3161. **श्री अजीत जोगी**: क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसुचित जाति/अनुसुचित जनजाति के लोगों का आर्थिक उत्थान करने के लिए औद्योगिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने की कोई योजना तैयार की है।

(ख) यदि हां, तो योजनवार व्यौरा क्या है औऱ चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश को कितना वित्तीय आवंटन किया गया है।

(ग) अब तक स्वीकृत की गई और स्वीकृति हेतु विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है। और

(घ) इन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

क्रयाण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामुवालिया):

(क) से (घ) सरकार ने गरीबी की रेखा के दो गुना नीते आय वाले अनुसुचित जातियों एवं अनुसुचित जनजातियों को आय सृजक योजनाओं के लिए अच्छी कि रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य के कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत 8 फरवरी, 1989 को राष्ट्रीय अनुसुचित जाति/अनुसुचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (लाभ के लिए नहीं) की स्थापना की है। यह गरीबी की रेखा के दो गुना नीते वाले अनुसुचित जाति/जनजाति के व्यक्ति साझेदारी वाली फर्मो संयुक्त व्यक्तियों औऱ सहकारी संस्थाओं को ऋण प्रदान करता है जिनमें सभी सदस्य अनुसुचित जाती/ अनुसूचित जनजाति समुदाय के होते है तथा वे गरीबी की रेखा के दौ गुना नीचे के व्यक्ति होते हैं। सहकारी संस्थाओं औद्योगित सहकारी भी शामिल होते हैं। जहां तक मध्य प्रदेश राज्य का संबंध है, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाती वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को कुल 49 लाख रु की परियोजना लागत वाली स्टोन क्रशिंग स्कीम की 10 युनिटें मंजूर की गई है जिनके लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम ने 10 लाख रु. संवितरित किए हैं। जहां तक वर्तमान वर्ष का संबंध है औद्योगिक सहकारी सोसाइटी की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य से औद्योगिक सहकारी सोसाइटी के लिए कोई प्रस्ताव अनुमोदन के लिए लम्बित नहीं है।

एकबात्ती कनैक्शन के लिए अनुसूचित जाति के परिवारों की पहचान करना

3162. **श्री गोविन्दराम मिरी**: क्या क्लयाण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा राज्य-वार पहचान किये गये अनुसूचित जाति के परिवारों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से कितने परिवारों को एकबत्ती कनैक्शन प्रदान किया जा चुके हैं?

क्रायण मंत्री (श्री बलवंत सिहं रामुवालिया): अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सहित गरीबी की रेखा से नीचे वाले ग्रामीण परीवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए, भारत सरकार ने ऐसे गरीब परिवारों के परिवार में एक बत्ती के बिजली के कनेक्शनों के विस्तान के लिए वर्ष 1988-89 में एक कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार लाभग्राहियों के राज्यवार ब्यौरें विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(31.12.1996 की स्थिति के अनुसार संचयी स्थिति)

क्र.सं.	राज्य	प्रदान किया गया एक बत्ती कनैक्शन
1.	आन्ध्र प्रदेश	232205
2.	अरुणाचल प्रदेश	11372
3.	असम	43680
4.	बिहार	200274
5.	दिल्ली	0
6.	गोवा	1050
7.	गुजरात	40830
8.	हरियाणा	9630
9.	हिमाचल	7476
10.	जम्मू और कश्मीर	933
11.	कर्नाटक	309500
12.	केरल	26208
13.	मध्य प्रदेश	422695
14.	महाराष्ट्र	145015
15.	मणिपूर	3136
16.	मेघालय	5440
17.	मिजोरम	5100
18.	नागालैंड	3506
19.	उड़ीसा	99818
20.	पंजाब	7880
21.	राजस्थान	80285
22.	सिक्किम	12915
23.	तमिलनाडु	238570
24.	त्रिपूरा	3800